B.A. Part-2 (Hons)

INDIAN POLITICAL SYSTEM (Paper-3)

Topic: - PREAMBLE

हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:
सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई. को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं।

राज्य का स्वरूप – प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य

न्याय – सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय।
स्वतंत्रता – विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता
समानता – प्रतिष्ठा और अवसर की समता।
बंधुता – व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता।
पारित – 26 नवम्बर, 1949 को अंगीकृत, अधि. नियमित, आत्मार्पित करते हैं।

2. "हम भारत के लोग" :– इससे 3 बातें स्पष्ट होती हैं–
(i) राजनीतिक सत्ता जनता में निहित है।
(ii) संविधान निर्माता जनता के प्रतिनिधि थे।
(iii) संविधान को जनता का समर्थन प्राप्त है।
'हम भारत के लोग' शब्द अमेरिका से लिया गया है।

(2) सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न :- इसका अर्थ सम्प्रभुता से है। अर्थात भारत एक सम्प्रभु राज्य बन गया है जो अपनी गृह और विदेश नीति का निर्माण स्वयं करेगा। देश के अन्दर उसके समकक्ष कोई सत्ता नहीं होगी और देश के बाहर वह किसी अन्य राज्य के अधीन नहीं है।

(3) समाजवाद :- भारत का समाजवाद पूर्व सोवियत संघ की तरह नहीं है। भारत ने 'समाजवादी ढाँचे के समाज' का प्रतिपादन किया। इसका प्रतिपादन 1955 में कांग्रेस के अवाडी (तमिलनाडु) अधिवेशन में हुआ। नेहरू ने इसे लोकतांत्रिक समाजवाद कहा। भारत में समाजवाद का अर्थ लोककल्याणकारी राज्य और मिश्रित अर्थव्यवस्था से है। अर्थात ऐसे उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाये जो गरीबों के लिए आवश्यक थे। शेष का निजीकरण रहने दिया गया। भारत में पंचवर्षीय योजनाएँ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, भूतपूर्व रियासतों के शासकों को मिलने वाली विशेष सुविधाओं की समाप्ति तथा गरीबों के कल्याण के लिए चलायी जा रही योजनाएँ समाजवाद का हिस्सा है। सामाजिक न्याय इसकी आत्मा है।

(4) पंथनिरपेक्षता :- इसका अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। अर्थात वह धर्मों के मामले में तटस्थ है या सभी धर्मों को समान रूप से मानता है। और अपने यहाँ सभी धर्मों को अन्तःकरण की स्वतन्त्रता, किसी धर्म को अबोध-रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने की छूट देता है। भारतीय पंथनिरपेक्षता का स्वरूप सकारात्मक है। यह नास्तिकता को बढ़ावा देने या धर्म विरोधी प्रचार करने की छूट नहीं देता। यह बलपूर्वक या लालच देकर धर्मान्तरण की इजाजत नहीं देता। जबकि अमेरिका में धर्म विरोधी प्रचार की छूट है।

5. गणराज्य :- यदि किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है, तो वह गणराज्य होता है। भारत, फ्रान्स व अमेरिका गणराज्य हैं लेकिन इंग्लैण्ड गणराज्य नहीं है क्योंकि वहाँ सवैधानिक राजतंत्र है, वहाँ का शासक वंशानुगत होता है।

6. सामाजिक न्याय :- समाज, जाति, धर्म, भाषा, लिंग और विशेषाधिकारों पर आधारित न हो तथा समाज के गरीब वर्ग का विशेष हित हो।

7. आर्थिक न्याय :- आय की असमानता को कम किया जाये ताकि आर्थिक विषमता को दूर किया जा सके और अमीरों तथा गरीबों के बीच सामंजस्य स्थापित किया जा सके।

8. राजनीतिक न्याय :- जाति, धर्म, भाषा और लिंग के भेदभाव के बिना, सभी व्यक्तियों को राजनीति में भागीदारी का अवसर मिले।

9. व्यक्ति की गरिमा :- व्यक्ति को मूल अधिकारों की गारण्टी तथा इसका उल्लंघन होने पर व्यक्ति न्यायालय जा सकता है। अस्पृश्यता का अंत, समान जीविका के साधन, काम की मानवीय दशा तथा उचित जीवन स्तर संविधान प्रदान करता है।

10. अखण्डता : राष्ट्र की अखण्डता को संविधान में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। इसे केन्द्र में रखते हुए संविधान में प्रावधान किये गये हैं।

प्रस्तावना का स्वरूप :- सर्वप्रथम बेरूबाड़ी यूनियन 1960 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का वैधिक भाग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। केशवानन्द ~~1973~~ भारती 1973 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बेरूबारी मामले में दिए गए फैसले को पलटते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें

अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन किया जा सकता है, लेकिन यह संविधान के मूल ढांचे को नष्ट न करता हो। उपयुक्त निर्णय के पश्चात संसद ने 42वें संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में प्रथम बार संशोधन किया और उसमें क्रमशः समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखण्डता शब्दों को जोड़ा गया।

भारतीय संविधान की उद्देशिका (प्रस्तावना) को संविधान की आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एंव उद्देश्यों की रूपरेखा दी गयी है उनकी व्याख्या मूल अधिकारों, नीति निदेशक तत्वों एंव मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में की गयी है। संविधान की प्रस्तावना भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है।